2025/28

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
भावना पुत्री श्री रावतसिंह राठौड निवासी नयावास नं. 02 वार्ड नं. 31 डायालालजी आर्य के घर के पास सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 10 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को दिनांक 16.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट का राशनकार्ड, जो उसके पति श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री प्रवीणसिंह निवासी सार्दुलपुरा, सिरोही के नाम से बना हुआ है, जिसे दिनांक 13.06.2007 को जिला रसद कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके आवेदन के क्रम संख्या 868, कोड संख्या 5512 है। उक्त राशन कार्ड के वर्तमान में बार कोड संख्या बतावें और यह भी बतावें कि वर्तमान में यह राशन कार्ड चालू है या नहीं। इसके अलावा पुराने राशन कार्ड में क्रम संख्या तीन श्रीमती कनिया नाम काटा जावे एवं अपीलांट के छोटे पुत्र श्री अभिमन्युसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह निवासी सार्दुलपुरा, सिरोही के नाम नए राशन कार्ड बनवाया जाकर नाम जोडा जावे। उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही को दिनांक 16.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट का राशनकार्ड, जो उसके पति श्री गोविन्दसिंह पुत्र श्री प्रवीणसिंह निवासी सार्दुलपुरा, सिरोही के नाम से बना हुआ है, जिसे दिनांक 13.06.2007 को जिला रसद कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके आवेदन के क्रम संख्या 868, कोड संख्या 5512 है। उक्त राशन कार्ड के वर्तमान में बार कोड संख्या बतावें और यह भी बतावें कि वर्तमान में यह राशन कार्ड चालू है या नहीं। इसके अलावा पुराने राशन कार्ड में क्रम संख्या तीन श्रीमती कनिया नाम काटा जावे एवं अपीलांट के छोटे पुत्र श्री अभिमन्युसिंह पुत्र श्री गोविन्दसिंह निवासी सार्दुलपुरा, सिरोही के नाम नया राशन कार्ड बनवाया जाकर नाम जोडा जावे। उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी [illegible] लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही द्वारा जारी पत्र क्रमांक/रसद/सू.अ./रेकर्ड/2024/40 दिनांक 13.01.2025 के द्वारा [illegible] को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी सिरोही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.09.19 17:53:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner